



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 09/2026/D-291

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 286020 दिनांक 05/03/2026 को निम्नांकित भूखण्ड का Name Transfer जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/ लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	ग.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	Ramphool Meena S/o Girdhari Lal Meena	श्री भोला राम मीणा पुत्र श्री मूलचन्द मीणा	18	184.62 SQ. YARD	Private	SUMAN ENCLAVE	Name Transfer	आवेदक श्री रामफूल मीणा पुत्र श्री गिरधारी लाल मीणा द्वारा निजी खातेदारी की योजना सुमन एनक्लेव के भूखण्ड संख्या 18 क्षेत्रफल 184.62 व.ग. के नाम हस्तान्तरण बाबत आवेदन किया गया है। उक्त भूखण्ड संख्या 18 क्षेत्रफल 184.62 व.ग. की लीजडीड दिनांक 17.09.2014 को श्री भोला राम मीणा पुत्र श्री मूलचन्द मीणा के पक्ष में जारी की गई थी। तत्पश्चात दिनांक 13.10.2014 को उक्त भूखण्ड संख्या 18 क्षेत्रफल 184.62 व.ग. का बेचान श्री भोला राम मीणा पुत्र श्री मूलचन्द मीणा



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Name Transfer जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. Ramphool Meena S/o Girdhari Lal Meena को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे | प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमे प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय मे प्रस्तुत ना करें |